

श्रीमान् अंचलाधिकारी

कोडरमा अंचल ।

विषय :- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के सबंध में ।

महाशय,

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं मो. अहतशाम पिता मो. आतहर हुसेन

ग्राम गुमो पो कुमवी तिवोया थाना तिवोया

जिला उरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :-

1. मौजा गुमो

2. थाना तिवोया

3. थाना न० 12

4. खाता न० 586

5. प्लॉट न० 1202

6. रकबा 1 डी.

7. भूमि का किस्म शैथनी

8. अधतन रसिद न० 00765 52080

9. दा० खारिज वाद संख्या.....

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण

पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा ।

Mr. Asham
विश्वासभाजन


न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या...164.../2023

आवेदक मो० एहतशाम पिता मो० अतहर हुसैन, साकिन-गुमो, पोस्ट-द्रुमरी तिलैया, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

| मौजा | थाना नं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकवा | किस्म |
|------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| गुमो | 12 | 586 | 1202 | 1 डी० | रैयती |

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक ...18.../04.../2023 को प्रस्तुत करें।



अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

अभिलेख उपस्थापित

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-586, प्लॉट सं०-1202, रकवा-4.61 डी० भूमि पंजी-II के पृष्ठ संख्या-52, भाग संख्या-18 पर अंजिला खातुन पति अतहर हुसैन के नाम से ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-717 दिनांक 16.01.1978 द्वारा प्राप्त है। उक्त भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष-2022-23 तक निर्गत है। प्राधिकार कॉलम में दा० खा० वाद सं०-274/1978-79 दर्ज है। शपथ पत्र संख्या-05 दिनांक 13.01.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-586, प्लॉट सं०-1202, रकवा-1 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।


अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

08.04.2023

18.04.2023